#### Case name

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1975)

#### Case

इस मामले में विभिनि्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 368, जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, और अनुच्छेद 329ए, जो चुनाव याचिकाओं की वैधता से संबंधित है।

# **Brief Summary**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में संविधान के संशोधन, चुनाव कानूनों और न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की है। अदालत ने माना है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अदालत ने यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी सीमा के अधीन नहीं है। अदालत ने आगे कहा है कि 39वां संविधान संशोधन, जिसने 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव को मान्य किया था, असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।

## **Main Arguments**

मामले में मुख्य तर्क अनुच्छेद 368 की व्याख्या और संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के इर्द-गिर्द घूमते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि घटक शक्ति सीमांकित पूल से स्वतंत्र है जिसमें यह अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से संविधान प्राधिकरण के हाथों में छोड़ देता है। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी सीमा के अधीन नहीं है।

# **Legal Precedents or Statutes Cited**

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में कई कानूनी उदाहरणों और कानूनों का हवाला दिया है, जिनमें शामिल हैं:-भारत के संविधान का अनुच्छेद 368, जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है।-भारत के संविधान का अनुच्छेद 329ए, जो चुनाव याचिकाओं की वैधता से संबंधित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। - केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

## **Quotations from the court**

न्यायालय ने अपने निर्णयों में कई टिप्पणियां और उद्धरण दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:-"घटक शक्ति सीमांकित पूल से स्वतंत्र है जिसमें वह अच्छी तरह से परिभाषित चैनलों के माध्यम से संविधान प्राधिकरण के हाथों में छोड़ देता है। "-" मौलिक साधन में संशोधन करने की शक्ति अपने साथ मूल संरचना, मूल ढांचे और संविधान की आवश्यक नींव की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने की शक्ति नहीं ले सकती है। "-" कानून को जानना माना जाता है। "-" "39वां संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि यह प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनाव कानूनों के दायरे से छूट देता है।"

### **Present Court's Verdict**

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कई निर्णय दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:-केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225, जिसमें न्यायालय ने कहा कि मौलिक दस्तावेज में संशोधन करने की शक्ति अपने साथ मूल संरचना, मूल ढांचे और संविधान की आवश्यक नींव की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने की शक्ति नहीं ले सकती है। - इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) 4 एस. सी. सी. 345, जहां अदालत ने माना कि 39वां संवैधानिक संशोधन असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। - एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 3 एस. सी. सी. 1, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी भी सीमा के अधीन नहीं है।

### **Conclusion**

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का संविधान के संशोधन, चुनाव कानूनों और न्यायिक समीक्षा की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न्यायालय की मान्यताओं ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमाओं को स्थापित किया है और इस सिद्धांत की पुष्टि की है कि मौलिक साधन में संशोधन करने की शक्ति अपने साथ मूल संरचना, मूल ढांचे और संविधान की आवश्यक नीव की आवश्यक विशेषताओं को नष्ट करने की शक्ति नहीं ले सकती है।